झारखण्ड विधान सभा
दैनिक विवरणिका

पंचम् झारखण्ड विधान सभा **सप्तम् (शीतकालीन) सत्र**

संख्या-05 **बुधवार, दिनांक-22 दिसम्बर, 2021 ई०।**

समय-11.00 बजे पूर्वाह्न से 7.10 बजे अप० तक।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

इस अवसर पर माननीय सदस्य, श्री बिरंची नारायण ने आसन से अनुरोध किया कि सभा सचिवालय में माननीय सदस्यों से सम्बन्धित पिजन बॉक्स प्रवेश द्वारा के पास ही लगवा दिया जाय। इसी क्रम में माननीय सदस्य, श्री भानू प्रताप शाही ने आसन से अनुरोध किया कि माननीय सदस्या, श्रीमती सीता सोरेन सदन के बाहर अपनी माँगों को लेकर धरने पर बैठी है, अतएव उन्हें ससम्मान सदन में बुलवाया जाय तदुपरांत आसन के निदेश से माननीय मंत्री, श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, माननीय सदस्य, श्री भानू प्रताप शाही तथा माननीय सदस्य, डॉ० इरफान अंसारी द्वारा उन्हें ससम्मान सदन में लाया गया।

1.प्रश्नकाल:-

आज के लिए निर्धारित प्रश्नों का व्यवस्थापन निम्न प्रकार से हुआ-

(i) अल्पसूचित प्रश्नों की कुल संख्या-28

(क) **उत्तरित कुल-04,**	**अ० सू०-78,**	**श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह,**	स०वि०स०,
	अ० सू०-79,	श्री राजेश कच्छप	स०वि०स०,
	अ० सू०-80,	डॉ० सरफराज अहमद,	स०वि०स०,
	अ० सू०-81,	श्री प्रदीप यादव,	स०वि०स०।

(ख) अनागत कुल-24, अ० सू०-82 से लेकर अ०सू०-105 तक।

(**इस क्रम में माननीय सदस्य, श्री भानू प्रताप शाही ने आसन से अनुरोध किया** कि माननीय सदस्य, श्री लम्बोदर महतो सदन के बाहर अपनी माँगों को लेकर धरने पर बैठी है, अतएव उन्हें ससम्मान सदन में बुलवाया जाय। तदुपरांत आसन के निदेश से माननीय मंत्री, श्री बादल, माननीय सदस्य, श्री नवीन जयसवाल तथा माननीय सदस्य, श्री बंधु तिर्की द्वारा उन्हें ससम्मान सदन में लाया गया। इसी क्रम में माननीय सदस्य, श्री नवीन जायसवाल ने राँची नगर आयुक्त द्वारा मकानों को बर्बरतापूर्ण तुड़वाये जाने की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट करते हुए अनुरोध किया कि जो मकान रेगुलराइज्ड नहीं है, उन्हें रेगुलराइज्ड किया जाय।)

(ii) तारांकित प्रश्नों की कुल संख्या-51

(क) **उत्तरित कुल-05,**	**तारां०-102,**	डॉ० इरफान अंसारी,	स०वि०स०,
	तारां०-103,	श्री बिरंची नारायण,	स०वि०स०,
	तारां०-104,	श्री अमर कुमार बाउरी,	स०वि०स०,
	तारां०-105,	श्रीमती सीता सोरेन,	स०वि०स०,
	तारां०-106,	श्री विनोद कुमार सिंह,	स०वि०स०।

(ख) अनागत कुल-46, तारां-107 से लेकर तारां०-152 तक।

इस क्रम में माननीय सदस्या, श्रीमती सीता सोरेन ने आम्रपाली सी.सी.एल. द्वारा रास्ते को अतिक्रमित किये जाने, माननीय सदस्य, श्री लम्बोदर महतो द्वारा पी.टी.पी.एस., ललपनिया में मृत मजदूरों के परिवारों को लम्बित भुगतान किये जाने, डॉ० नीरा यादव ने कोडरमा में ढ़िबरा चुननेवालों को राहत देने, माननीय सदस्य, श्री अनन्त कुमार ओझा ने साहेबगंज में तीव्र गति से गंगा से हो रहे कटाव तथा माननीय

सदस्य, श्री लोबिन हेम्ब्रम ने छत्तीसगढ़ मॉडल के आधार पर राज्य में शराब बेचे जाने की योजना पर घोर आपत्ति दर्ज करते हुए आसन का ध्यान आकृष्ट किया।

2.कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना:-

माननीय सदस्य, श्री लम्बोदर महतो के राज्य में पंचायत चुनाव कराये जाने, माननीय सदस्य, श्री बिरंची नारायण के बिजली संकट, माननीय सदस्य, श्री अनन्त कुमार ओझा के बांग्लादेशी घुसपैठियों एवं माननीय सदस्य, श्री राज सिन्हा के धनबाद जिले में बिजली संकट सम्बन्धी सूचनायें नियमानुकूल नही रहने के कारण आसन द्वारा सभी सूचनायें अमान्य कर दी गयीं।

(शोरगुल)

3.शून्यकाल की सूचनायें:-

आसन से पुकारे जाने पर निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा शून्यकाल की सूचनयें पढ़ी गयी-

श्री उमाशंकर अकेला,
श्री रामचन्द्र सिंह,
श्री राजेश कच्छप,
श्री नारायण दास,
श्री लम्बोदर महतो,
श्री भूषण तिर्की,
श्री बिरंची नारायण,
श्रीमती ममता देवी,
श्री संजीव कुमार सरदार,
श्री विनोद कुमार सिंह,
श्री समीर कुमार मोहन्ती,
श्री राज सिन्हा,
डॉ० इरफान अंसारी,
श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी,
सुश्री अम्बा प्रसाद,
श्री मथुरा प्रसाद महतो,
श्री किशुन कुमार दास,
डॉ० नीरा यादव,
श्री प्रदीप यादव,
श्री अनन्त कुमार ओझा,
श्री दशरथ गागराई,
श्री बंधु तिर्की एवं
श्री अमित कुमार मण्डल।

माननीय सदस्य, श्री भूषण बाड़ा अनुपस्थित रहे।

(शोरगुल)

इस अवसर पर माननीय सदस्य,श्री अमित कुमार मण्डल ने गोड्डा जिले में कार्यरत संविदा कर्मियों को नौकरी दिये जाने, श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह ने शून्यकाल की सूचनायें 50 शब्दों में दिये जाने तथा दिनांक- 21.12.2021 को सदन से निलम्बित माननीय सदस्य,श्री मनीष जयसवाल को सदन में आने देने की अनुमति प्रदान किये जाने, माननीय सदस्य,श्री प्रदीप यादव ने तत्कालिक घटनाओं पर ही सूचनायें दिये जाने तथा माननीय सदस्य डॉ० सरफराज अहमद ने राज्य के 80 विद्यालयें को प्रशिक्षित किये जाने के दौरान उर्दू भाषा को भी सम्मिलित किये जाने की माँग आसन से की गई।

4.ध्यानार्षण प्रस्ताव की सूचनायें

i- माननीय सदस्य, श्री संजीव सरदार द्वारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गई जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ,

ii- माननीय सदस्य, श्री विनोद कुमार सिंह द्वारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गई जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ,

iii- माननीय सदस्य, श्री रामचन्द्र सिंह द्वारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गई जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ,

iv- माननीय सदस्य, श्री बिरंची नारायण द्वारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गई जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ,

v- माननीय सदस्य, डॉ० सरफराज अहमद द्वारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गई जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ,

vi- माननीय सदस्य, सुश्री अम्बा प्रसाद द्वारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गई जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ,

इस क्रम में माननीय सदस्य,श्री सुदिव्य कुमार ने डी.वी.सी. द्वारा कमाण्ड एरिया में मनमाने तरीके से बिजली में कटौती किये जाने तथा माननीय सदस्य,श्री नीलकण्ठ सिंह मुण्डा ने खूँटी जिले में अवैध तरीके से बालू ट्रैक्टरों को पकड़ने वाले पदाधिकारियों पर कार्रवाई किये जाने की ओर आसन का ध्यानाकृष्ट किया।

5.सभा मेज पर कागजात का रखा जाना:-

माननीय प्रभारी मंत्री (वित्त), डॉ० रामेश्वर उराँव द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद-151(2) के अनुसरण में 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का झारखण्ड राज्य के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन राज्य वित्त एवं 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के झारखण्ड राज्य के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वित्त लेखे भाग-**I,ii** एवं विनियोग लेखे को जिसे विधान सभा के समक्ष रखने हेतु भारत सरकार के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक ने माननीय राज्यपाल महोदय के पास भेजा है, को सदन पटल पर उपस्थापित किया गया।

झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम-238के उपबंध के अनुसार लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन यथा समय सदन में उपस्थापित किया जायेगा, उनपर लोक लेखा समिति द्वारा परिनिरीक्षण किये जाने के पूर्व यह जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो, पर ध्वनिमत से सदन की स्वीकृति प्राप्त हुई।

अन्तराल

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

6.विविध कार्य:-

i- इस अवसर पर माननीय संसदीय कार्यमंत्री ने आसन से अनुरोध किया कि दिनांक-21.12.2021 को माननीय सदस्य, श्री मनीष जायसवाल को आसन द्वारा पंचम् झारखण्ड विधान सभा के सप्तम्(शीतकालीन) सत्र की शेष अवधि के लिए किये गये निलम्बन को वापस लिया जाय जिसे आसन द्वारा स्वीकृत किया गया तत्पश्चात् माननीय सदस्य, श्री जायसवाल सदन में आये,

ii- माननीय प्रभारी मंत्री, विधि विभाग, श्री आलमगीर आलम ने आसन से अनुरोध किया कि ''कोर्ट फीस (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2021'' की अनुसूची-।। के क्रम संख्या-1 के कॉलम-2 की चौथी पंक्ति में अंकित शब्द 'दीवाली' को संशोधित मानते हुए 'दीवानी' शब्द पढ़े जाने हेतु अनुरोध किया जिसे आसन द्वारा स्वीकृत किया गया,

iii- झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम-216(1) के तहत माननीय सदस्य, श्री मथुरा प्रसाद महतो द्वारा झारखण्ड विधानमण्डल के माननीय मुख्य सचेतक, सचेतकगण तथा विधानमण्डल के पदाधिकारियों, नेता विरोधी दल, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिगण को

झारखण्ड विधानमण्डल के माननीय सदस्यों के अनुरूप उपस्कर सुविधा प्रदान करने के लिए गठित समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखी गयी।

7.विधायी कार्यः-

(क)कोर्ट फीस (झारखण्ड संशोधन) विधेयक-2021

माननीय प्रभारी मंत्री, विधि विभाग, श्री आलमगीर आलम द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुर:स्थापित किया गया।

पुर:स्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डश: विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड-02, अनुसूची, अनुसूची-।।, खण्ड-01, प्रस्तावना तथा नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तत्पश्चात् **''कोर्ट फीस (झारखण्ड संशोधन) विधेयक-2021''** सभा द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

(ख)झारखण्ड विद्युत शुल्क (संशोधन) विधेयक-2021

माननीय प्रभारी मंत्री, वाणिज्य कर विभाग, डॉ० रामेश्वर उराँव द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुर:स्थापित किया गया।

पुर:स्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डश: विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड-02, अनुसूची-क, खण्ड-01, प्रस्तावना तथा नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तत्पश्चात् **''झारखण्ड विद्युत शुल्क (संशोधन) विधेयक-2021''** सभा द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

(ग)पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय विधेयक-2021

माननीय प्रभारी मंत्री, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, श्री मिथिलेश ठाकुर द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुर:स्थापित किया गया।

पुर:स्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डश: विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड-02 से खण्ड-09, खण्ड-10, खण्ड-11 से खण्ड-86 तक, खण्ड-01, प्रस्तावना तथा नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तत्पश्चात् ''पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय विधेयक-2021'' सभा द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

8.गैर सरकारी संकल्प की सूचनायें:-

पंचम् झारखण्ड विधान सभा के सप्तम् (शीतकालीन) सत्र में निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा गैर-सरकारी संकल्प की सूचनायें पढ़ी गयी जो सरकारी उत्तर के पश्चात् वापस ली गयी:-

क्र०सं०	माननीय सदस्य का नाम	संक्षिप्त विषय	स्थिति
01	श्रीमती अपर्णासेन गुप्ता	निरसा प्रखण्ड अन्तर्गत पांडरा में अवस्थित रेफरल अस्पताल में सम्पूर्ण सुविधायें उपलब्ध कराना।	वापस

02	श्री मनीष जायसवाल	हजारीबाग शहर में यातायात व्यवस्था का सुचारू संचालन एवं यातायात पुलिस उपाधीक्षक की प्रतिनियुक्ति तथा फुटपाथ दुकानदारों हेतु स्थायी व्यवस्था कराना।	वापस
	(इस अवसर पर माननीय इस क्रम में सदन की सहमति	सभापति, श्री स्टीफन मराण्डी ने आसन ग्रहण किया। से सभा का समय कार्यवाही पर्यन्त विस्तारित किया गया।)	
03	श्री विनोद कुमार सिंह	गिरिडीह जिला के बगोदर में NH-2 पर एक ट्रॉमा सेंटर की स्वीकृति कराना।	वापस
04	श्री समीर कुमार मोहन्ती	पूर्वी सिंहभूम स्थित चाकुलिया हवाई पट्टी को कार्गो एयरपोर्ट के रूप में विकसित करना।	वापस
05	डॉ० इरफान अंसारी	जामताड़ा प्रखण्ड स्थित चन्द्रदीपा राखापाड़ा से गोवाकोला के महत्वपूर्ण पथ में पुल का निर्माण कराना।	वापस
06	डॉ० लम्बोदर महतो	राज्य के कुरमी/कुड़मी (महतो) जाति/ तेली (कोल्ह) एवं घटवार/घटवाल जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने हेतु तथ्यपरक स्पष्ट अनुशंसा केन्द्र को भेजा जाना।	वापस
07	श्री अनन्त कुमार ओझा	साहेबगंज में ''विश्वविद्यालय'' (University) की स्थापना कराना।	वापस
08	श्री आलोक कुमार चौरसिया	रिम्स में जीनोम सिक्वेंसिंग मशीन की खरीदगी।	अनुपस्थित
09	श्री सरयू राय	झारखण्ड सरकार और टाटा स्टील लि० के बीच हुए टाटा लीज नवीकरण समझौता-2005 की कंडिका-8 को निरस्त कराना।	वापस
10	श्री रामचन्द्र सिंह	लातेहार जिलान्तर्गत बरवाडीह प्रखण्ड को अनुमण्डल का दर्जा प्रदान करना।	वापस
11	श्री नारायण दास	देवघर में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना कराना।	वापस
12	श्री अमित कुमार मण्डल	गोड्डा से हावड़ा के लिए एक्सप्रेस नये ट्रेन प्रारम्भ कराना।	वापस
13	श्री सुदेश कुमार महतो (अधिकृत, डॉ० लम्बोदर महतो)	सरकारी/निजी क्षेत्र में होनेवाले नियुक्तियों तथा सरकारी/गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में नामांकन में विभिन्न वर्गों का आरक्षण प्रतिशत बढ़ाया जाना।	वापस
14	श्रीमती ममता देवी	रामगढ़ जिले के बहुद्देश्यीय भैरवी जलाशय परियोजना के दोनों ओर नहर के निर्माण कार्य को पूर्ण कराना।	वापस
	(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष	महोदय ने आसन ग्रहण किया।)	
	माननीय सदस्य, श्री बिरंची नारायण सभापति महोदय का ध्यान आकृष्ट को पहले ही उपलब्ध कराये जाने	ने पदाधिकारी दीर्घा में अधिकारियों की अनुपस्थिति की ओर किया। उन्होंने गैर सरकारी संकल्प का उत्तर सभी माननीय सदस्यों हेतु अनुरोध किया जिसे सरकार ने संज्ञान में लिया।	

15	श्री जय प्रकाश भाई पटेल	राज्य में गैर मजरूआ खास भूमि का रसीद निर्गत कराना।	वापस
16	श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन	वनों के क्षेत्र पदाधिकारी का कार्यालय मैक्लुस्कीगंज (राँची) करना।	अनुपस्थित
17	श्री कमलेश कुमार सिंह	सोन व कोयल नदी के किनारे मिट्टी के कटाव क्षेत्र में यथाशीघ्र गार्डवाल का निर्माण कराना।	अनुपस्थित
18	श्री सुदिव्य कुमार	झारखण्ड राज्य में फार्मा इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए पॉलिसी बनाना।	वापस
19	श्रीमती पुष्पा देवी	छतरपुर अनुमण्डल में निबंधन कार्यालय की स्थापना कराना।	वापस
20	श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह	महागामा प्रखण्ड में एक नया प्रखण्ड हनवारा प्रखण्ड का निर्माण कराना।	वापस
21	श्री किशुन कुमार दास	चतरा जिलान्तर्गत पत्थलगड्डा अन्तर्गत सिरकोल नदी एवं टण्डवा प्रखण्ड के राहम बड़गाँव पथ में कुहुबाद नाला पर पुल का निर्माण कराना।	वापस
22	श्री बंधु तिर्की	मॉब लिंचिंग पर कानून बनाना तथा पीड़ित परिवारों को झारखण्ड प्रतिकार स्कीम-2016 के अनुसार मुआवजा एवं पुनर्वास की व्यवस्था कराना।	वापस
23	श्री प्रदीप यादव	झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग के राज्य स्तरीय नियुक्ति नियमावली में क्षेत्रीय भाषा के रूप में अंगिका को सम्मिलित करना।	वापस
24	श्री बिरंची नारायण	बोकारो में मेडिकल कॉलेज का यथाशीघ्र निर्माण कराना।	वापस
25	श्री अमर कुमार बाउरी	बोकारो जिला के चन्दनकियारी प्रखण्ड में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत पथों का निर्माण कराना।	वापस
26	श्री भानू प्रताप शाही	गढ़वा जिले के बहुद्देश्यीय कनहर सिंचाई परियोजना को बनवाना।	वापस
27	श्री केदार हजरा	गिरिडीह जिला से काटकर जमुआ प्रखण्ड को पूर्ण जिला का दर्जा देना।	वापस
28	सुश्री अम्बा प्रसाद	पतरातु रेलवे स्टेशन के समीप रेलवे ओवरब्रिज का नव-निर्माण कराना।	वापस
29	श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी	सिमडेगा जिलान्तर्गत कोलेबिरा प्रखण्ड को अनुमण्डल बनाना।	वापस
30	श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी	पलामू जिला के विश्रामपुर नावा प्रखण्ड अन्तर्गत इटको मोड़ से विश्रामपुर तक पी.डब्लू.डी. विभाग से सिंगल निर्मित सड़क को डबल रोड में चौड़ीकरण कराना।	वापस
31	श्री नलिन सोरेन	भागलपुर (बिहार) से अभिलेख प्राप्त कर मसानजोर विस्थापितों के हितों के प्रति मूलभूत सुविधायें	वापस

		उपलब्ध कराना।	
32	श्री अमित कुमार यादव	हजारीबाग जिलान्तर्गत **NH-33** नगवा से ईचाक, दरिया होते हुए खैरा **PWD** पथ तक चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य पथ निर्माण विभाग से शीघ्र प्रारम्भ कराना।	वापस
33	श्री मथुरा प्रसाद महतो	धनबाद जिला में हवाई अड्डा का निर्माण कराना।	वापस
34	श्री राज सिन्हा	कोयलांचल में **JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL** का क्षेत्रीय कार्यालय खोलना।	वापस
35	श्री राजेश कच्छप	आदिवासी एवं अन्य समुदाय की मूल पहचान जमीन की रक्षा हेतु आसन के माध्यम से संवैधानिक क्षमता सम्पन्न **Special Tribunal** बनाना।	वापस
36	डॉ० सरफराज अहमद	गिरिडीह जिलान्तर्गत ग्राम-ताराटांड़, प्रखण्ड-गाण्डेय में अवस्थित फुटबॉल मैदान में स्टेडियम का निर्माण कराना।	अनुपस्थित

इसके उपरांत आसन की अनुमति से माननीय मुख्यमंत्री सह सदन नेता, श्री हेमन्त सोरेन ने सरकारी वक्तव्य दिया जिसमें वर्त्तमान सरकार द्वारा अब तक हासिल की गयी उपलब्धियों का विस्तार से सदन को अवगत कराया।

इस क्रम में भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों ने सदन का परित्याग किया।

9.<u>समापन भाषण</u>:-

पंचम् झारखण्ड विधान सभा के सप्तम् (शीतकालीन) सत्र के अवसान पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने इस सत्र में कुल-05 दिवसों के दौरान लिये गये विषयों के सम्बन्ध में सदन को अवगत कराया। इस लघु सत्र में कुल-105 अल्पसूचित, 152 तारांकित एवं 36 अतारांकित प्रश्न सहित कुल-293 प्रश्न स्वीकृत हुए जिनमें 13 अल्पसूचित और 10 तारांकित प्रश्न सदन में उत्तरित हुए। कुल-251 प्रश्नों के उत्तर विभागों द्वारा उपलब्ध कराये गये। इसी प्रकार से कुल-88 शून्यकाल की सूचनायें स्वीकृत हुई और 20 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुए, इनमें से 07 उत्तरित, 01 अपृष्ठ तथा शेष ध्यानाकर्षण समिति को सुपुर्द हुए। इस सत्र में कुल-05 महत्त्वपूर्ण विधेयक पारित हुए।

सत्र के संचालन में सहयोग के लिए सभा सचिवालय के पदाधिकारियों/कर्मचारियों, झारखण्ड सरकार के पदाधिकारियों/कर्मचारियों, प्रेस प्रतिनिधियों, मीडिया और आरक्षी बल के जवानों को आसन द्वारा हार्दिक धन्यवाद दिया गया। सत्र के दौरान हुए व्यवधान को लेकर चिन्ता भी जाहिर की गयी क्योंकि इससे जनमुद्दे दिशाहीन हो जाते है। अंततः उन्होंने महान् पुरूषों की भागीदारियों को याद दिलाते हुए माननीय सदस्यों से सकारात्मक भूमिका निभाये जाने की उम्मीद के साथ सभा की कार्यवाही अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दी गयी।

राँची,
दिनांक- 22 दिसम्बर, 2021 ई०।

सैय्यद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा।